स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

प्रेषक,

अपर निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
धर्मपुर, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य नगर अधिकारी /अधिशासी अधिकारी,
समस्त नगर निगम/नगर पालिका परिषद/
नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।

संख्या– [handwritten] /श0वि0नि0/स्व0भा0अ0– /14 दिनांक 27 सितम्बर, 2014

विषयः– "स्वच्छ भारत अभियान" के आयोजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या.–1557/IV(2)-श0वि0–14–68(सा0)/14, दिनांक– 26/09/2014 तथा तद्क्रम में सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी पंत्राक–1558/IV(2)-श0वि0–14–68(सा0)/14, दिनांक– 26/09/2014 का संज्ञान ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। उक्त के अनुपालन में दिवसवार गतिविधियों का आयोजन निम्नानुसार किया जाना सुनिश्चित करें–

क्र0सं0	आयोजित की जाने वाली गतिविधि	दिनांक
1	शपथ ग्रहण दिवस	02 अक्टूबर, 2014
2	सड़क एवं गली, पर्वतीय नगरों में नालों, खुले प्लाटों व गधेरों में सफाई हेतु स्वच्छता दिवस	4 व 7 अक्टूबर, 2014
3.	स्कूल एवं कॉलेज स्वच्छता दिवस	09 अक्टूबर, 2014
4.	अस्पताल स्वच्छता दिवस	10 अक्टूबर, 2014
5.	सार्वजनिक शौचालय स्वच्छता दिवस	13 व 14 अक्टूबर, 2014
6.	हैन्ड वाश दिवस	15 अक्टूबर, 2014
7.	सरकारी/गैर सरकारी संस्थान स्वच्छता दिवस	15 व 16 अक्टूबर, 2014
8.	स्टॉल/होटल/रेस्टोरेन्ट/ बेकरी आदि स्वच्छता दिवस	17 व 18 अक्टूबर, 2014
9.	मलिन बस्ती स्वच्छता दिवस	20 व 21 अक्टूबर, 2014

उपरोक्त गतिविधियो को केन्द्रित करते हुए प्रत्येक नगर निकाय तत्काल अपनी कार्ययोजना तैयार कर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु कतिपय गतिविधियॉ चिन्हित की गई है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैं–

1– नगर निकायों में स्वच्छ भारत अभियान को मूर्त रूप देने हेतु बोर्ड की विशेष बैठक तत्काल आयोजित की जाय तथा शहर से सम्बन्धित स्वच्छता के समस्त प्रस्तावों पर विचार–विमर्श कर लिया जाय।

2– स्वच्छता शपथ को पंजिका में अंकित कर उस पर आगन्तुकों एवं जनसामान्य के हस्ताक्षर प्रतिबद्धता स्वरूप प्राप्त किये जायें तथा प्रतिदिवस तत्सम्बन्धी विवरण निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3– स्वच्छता शपथ को पैमफ्लेट के रूप में मुद्रित कराकर जनसामान्य में उसका वितरण सुनिश्चित करें। स्थानीय भाषा में प्रचार–प्रसार सामग्री का मुद्रण करते हुए सार्वजनिक स्थलों पर इनका प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाय।

4– वार्डवार विशेष सफाई अभियान संचालित किये जायें, जिसमें एक विशेष वेशभूषा में सफाई कर्मियों का दल समग्र रूप से कार्य करें ताकि एक विशेष प्रभाव परिलक्षित हो सके। उक्त गतिविधि हेतु तिथियां पूर्व निर्धारित कर ली जाय, जिसकी पूर्व सूचना सम्बन्धित क्षेत्रवासियों को प्रचारित प्रसारित की जाय।

5– दिनांक 15 अक्टूबर को हैन्ड वॉश डे पर मलिन बस्तियों में व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व को उल्लेखित कर 'व्यक्तिगत स्वच्छता किट' का वितरण किया जाय, जिस हेतु स्थानीय बैंको, स्वयं सेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों आदि का सहयोग लिया जा सकता है।

6– निकाय में अवस्थित सामुदायिक शौचालयों, कूड़ादानों की मरम्मत, पेन्ट, साफ–सफाई व जल व्यवस्था आदि को चालू हालत में लाने हेतु निकाय स्तर पर अभियान चलाया जाय।

7– स्वच्छता के क्षेत्र में पूर्व से कार्यरत व्यक्तियों/संस्थाओं को उनके उल्लेखनीय कार्यो हेतु समारोहों के माध्यम से सम्मानित किया जाय।

8– विद्यालय स्तर पर स्वच्छता पर निबन्ध, क्विज, वाद–विवाद तथा नारा लेखन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन सुनिश्चित किया जाय।

9– वार्ड स्तर पर स्वैच्छिक 'स्वच्छता दूत' नियुक्त करने की कार्यवाही की जाय। उक्त स्वच्छता दूतों द्वारा 'परिवर्तन कारक' के रूप में जनसामान्य को स्वच्छता के प्रति जागृत व प्रेरित किया जायेगा।

10– स्वच्छता के प्रचार–प्रसार हेतु अभिनव प्रयोग जैसेः– स्वच्छता दौड़ व पतंग प्रतियोगिता आदि का भी आयोजन किया जा सकता है।

11– नालियों की सफाई तथा सफाई के उपरान्त एकत्रित कूड़े की ढेरियों का कूड़ा ट्रचिंग ग्राउण्ड तक निस्तारण तथा उसके पश्चात कीटनाशक दवाईयों का छिड़काव आदि।

उपरोक्त गतिविधियों के अतिरिक्त नगर निकाय अपनी भौगोलिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप विशेष अभिनव गतिविधियां भी चिन्हित कर तद्नुरूप कार्यान्वित करने हेतु स्वतन्त्र है। नगर निकाय स्वच्छता अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जनप्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों, शासकीय व निजी संस्थानों आदि से यथासम्भव बहुक्षेत्रीय सहयोग प्राप्त करना सुनिश्चित करें। नगर निकाय उक्त गतिविधियों के संचालन हेतु आवश्यक धनराशि स्वजल योजनान्तर्गत संचालित जिला परियोजना प्रबन्धन इकाईयों में उपलब्ध आई0सी0 बजट से प्राप्त की जा सकती है।

प्रत्येक नगर निकाय में आयोजित गतिविधियों का प्रगति विवरण मय फोटोग्राफ्स आदि शहरी विकास निदेशालय को दिवस आधार पर ई–मेल– **directorsudauk@gmail.com** अथवा फैक्स संख्या: 0135–2672885 पर अपराह्न 3:00 बजे तक प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

स्वच्छता अभियान में सराहनीय कार्य करने वाली नगर निकायों को विभिन्न श्रेणियों में पुरूस्कृत किया जायेगा तथा सम्बन्धित मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी को प्रोत्साहन स्वरूप प्रमाण–पत्र आदि के द्वारा सम्मानित किया जायेगा। पुनः अवगत कराना है कि उक्त 'स्वच्छ भारत अभियान' सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है, अतः अभियान की सफलता हेतु आपकी व्यक्तिगत रूचि भी अपेक्षित है। जिन निकायों द्वारा अभियान के प्रति गम्भीरता प्रदर्शित नहीं की जायेगी, उनसे सम्बन्धित मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी की वार्षिक प्रविष्टि में इसे संज्ञान में लिया जायेगा।

भवदीय,
27/9/14
(नवनीत पाण्डे)
अपर निदेशक।

संख्या एवं दिनांकः–तदैव।

प्रतिलिपिः–

1– सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध से प्रेषित कि जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, स्वजल परियोजना को शहरी क्षेत्रों में भी स्वच्छता अभियान को एकीकृत मोड में संचालित किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

3– निदेशक, स्वजल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

27/9/14
(नवनीत पाण्डे)
अपर निदेशक।